भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4948
दिनांक 23 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का पुनरुद्धार

4948. श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी की नैनी, प्रयागराज में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों (पीएसयू) के पुनरुद्धार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कोई उपाय/रूपरेखा अपनायी गई है/ पर विचार किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या श्रमिकों को किसी बकाया राशि का भुगतान किया जाना शेष है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा इस बकाया राशि का किसी समय-सीमा के अंदर भुगतान किया जाएगा?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविन्द गणपत सावंत)

(क) से (ड.) : भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेशर्स लि. तथा त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. नामक दो केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम (सीपीएसईज़) हैं जिनका पंजीकृत कार्यालय नैनी, प्रयागराज में है। उपर्युक्त के अलावा क्रमशः भारी उद्योग विभाग तथा दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रशासनिक नियंत्रण में हिंदुस्तान केबल्स लि. तथा आईटीआई लि. की यूनिटें भी नैनी में हैं। इनके प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत इन सीपीएसईज़/ सीपीएसईज़ की इकाईयों की इनके कामगारों के बकाया की सूचना सहित वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है।

***

दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्नसंख्या 4948 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) से संदर्भित विवरण

क्र. सं.	विभाग/ सीपीएसई (जिनका पंजीकृत कार्यालय नैनी, प्रयागराज में है) सीपीएसई की इकाई का नाम	भारी उद्योग विभाग एवं दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर वर्तमान स्थिति
	भारी उद्योग विभाग	
1.	भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेशर्स लि.	भारी उद्योग विभाग ने सूचित किया है कि सीसीईए ने दिनांक 27.10.2016 को भारत पंप एंड कम्प्रेशर्स लि. (बीपीसीएल) का सिद्धांत रूप में रणनीतिक विनिवेश का अनुमोदन कर दिया है। विनिवेश की प्रक्रिया वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार चल रही है। कर्मचारियों का (वेतन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि) 78.68 करोड़ रुपये का बकाया है जिसका भुगतान धन के उपलब्ध होने पर किया जाएगा। बीपीसीएल ने भारत सरकार से धन की मांग की है।
2.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	भारी उद्योग विभाग ने सूचित किया है कि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. (टीएसएल) रुग्ण हो गया था तथा इसे वर्ष 1992 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 08.10.2013 के आदेश के अनुसरण में कम्पनी परिसमापन के अधीन है।
3.	हिन्दुस्तान केबल्स लि. की नैनी इकाई	भारी उद्योग विभाग ने सूचित किया है कि मंत्रिमंडल ने अन्य बातों के साथ - साथ दिनांक 28.09.2016 को परिसम्पत्तियों, हिन्दुस्तान केबल्स लि. की केवल नैनी इकाई के शेष कर्चमारियों को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. की सहायक कंपनी को उन कर्मचारियों जिन्होंने वीआरएस का विकल्प नहीं लिया है, सहित हस्तांतरण को अनुमोदित कर दिया था। तद्नुसार कंपनी की नैनी इकाई को उन कर्मचारियों जिन्होंने वीआरएस का विकल्प नहीं लिया था सहित दिनांक 01.02.2017 को नेशनल एयरो स्पेस लि. (एचएएल की सहायक) को हस्तांतरित कर दिया था। नैनी इकाई के पूर्व के कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाला कोई बकाया शेष नहीं है।
	दूरसंचार विभाग	
4.	आईटीआई लि. की नैनी इकाई	दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि कुल 6 इकाईयों में से आईटीआई लि. का नैनी में एक उत्पादन संयंत्र है। सीसीईए ने दिनांक 12.02.2014 को आईटीआई लि. की पुनरुद्धार योजना को अनुमोदित कर दिया था, जिसमें 4156.79 करोड़ रुपये का एक वित्तीय पैकेज शामिल है। वित्तीय पैकेज में आईटीआई में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूंजी निवेश हेतु इक्विटी के रूप में 2264 करोड़ रुपये और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुदान के रूप में 1892.79 करोड़ रुपये है। अब तक पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए उनकी कैपेक्स

		आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आईटीआई को पूंजी अनुदान के रूप में 699 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। 1592.79 करोड़ रु. की गैर - योजना राशि (स्थापना लागत, ग्रेच्युटी का वैधानिक शेष, वीआरएस व्यय की प्रतिपूर्ति, कर्मचारियों के वेतन संशोधन की बकाया राशि, वेतन भुगतान के लिए मार्च 2009 के दौरान दिया गया आईटीआई को लम्बित ऋण, जनवरी, 2013 में भुगतान किए गए वेतन का भुगतान समायोजन) जारी की जा चुकी है। आईटीआई ने वर्ष 2017-18 में 97.58 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 में 92.04 करोड़ रुपये लाभ अर्जित किया है। दूरसंचार विभाग के अनुसार कामगारों/ कर्मचारियों को भुगतान किया जाना शेष है जिसका भुगतान, चालू वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक धीरे-धीरे किए जाने की आशा है।